


न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़

मि० न० ०५ / प्रा० पत्र / १९

विषय:- प्रा० पत्र प्रार्थी रोधश्याम आ० लक्ष्मण मेहर नि० नसीराबाद  
तहसील बकानी

23/19


प्रा० पत्र प्रार्थी द्वारा जनसुनवाई शिविर ग्राम पंचायत नसीराबाद में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की ग्राम नसीराबाद के खाता संख्या 295 में सन 2011 से रेवेन्यू बोर्ड अजमेर से स्टे था उसके बाद भी प्रशासन गांव के संग अभियान दिनांक 14.06.2018 को इन्तकाल संख्या 13 58 तस्दीक कर दिया गया है जो निरस्त किया जावे। प्रा० पत्र का अवलोकन किया गया तहसीलदार बकानी द्वारा इसी आशय का दिनांक 14.06.2018 को तस्दीक ग्राम नसीराबाद के इन्तकाल संख्या 1358 को निरस्त करने हेतु रेफरेन्स न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उपर्युक्तानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र की पुष्टी होती हैं। अतः न्यायहित में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र को स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 1358 की क्रियान्विति पर आगामी आदेश तक रोक लगाई जाती है। स्थगन आदेश पालनार्थ तहसीलदार बकानी को भिजवाया जावे। प्रा० पत्र बाद दर्ज रजिस्टर मूल अपील के साथ पेश हो।

  
23/1

जिला कलक्टर  
झालावाड़

22/19

प्रा० पत्र मूल रूप से निरस्त किया जाये पेश हुआ।  
चूंकि मूल प्रकरण में बन्ध नहीं जाये  
निर्णय पारित किया जा चुका है। अतः  
प्रा० पत्र में आगामी कोर्ट कार्यवाही अपेक्षित  
नहीं होने से प्रा० पत्र मूल रूप से निरस्त किया जाये।  
समस्त किया जाये।

  
जिला कलक्टर  
झालावाड़